मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05.02.2016

क्र .एफ 16-35/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स रिलायंस लेंड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा एस.ई.जेड., पीथमपुर में डिफेंस पार्क की स्थापना सम्बंधी परियोजना में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर, इसके विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत होने एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत परियोजना को निम्नानुसार विशेष सुविधाएं दी जावें:-

1. **उद्योग संवर्धन नीति, 2014 एवं रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति, 2014 अंतर्गत -**

(i) **भूमि आवंटन में रियायत-** 300 एकड़ भूमि का प्रचलित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर 99 वर्ष की लीज पर, बिना विकास शुल्क के आवंटन किया जावेगा। आंतरिक अधोसंरचना कम्पनी को स्वयं के व्यय पर विकसित करनी होगी।

उपपट्टे, एफ.ए.आर. एवं भूमि बंधक रखने की अनुमति मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत दी जावेगी।

(ii) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 20 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की सीमा तक होगी। जीएसटी लागू होने की दशा में वेट एवं सीएसटी की सहायता अनुपातिक रूप से देय होगी।

(iii) **प्रवेश कर से छूट/ विद्युत शुल्क से छूट /स्टाम्प ड्यूटी/पंजीयन शुल्क से मुक्ति/ स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित करों से छूट-** एस.ई.जेड. एक्ट, 2003 के अनुसार छूट देय होगी।

2. **अन्य सुविधाएं-**

(i) **श्रम लागत एवं प्रशिक्षण व्यय अनुदान-** 5000 कर्मचारियों (कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को औसत वेतन अथवा रू. 50000 की अधिकतम सीमा दोनो में से जो कम हो के आधार पर अधिकतम सहायता राशि रू. 20 करोड़ दी जाये। यह अनुदान सुविधा केवल परियोजना में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों पर लागू होगी।

(ii) **रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट हेतु निवेश पर अनुदान-** मध्यप्रदेश में रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट हेतु किये जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रू. 10 करोड़ जो भी कम हो देय होगा। यह सहायता केवल एक बार देय होगी।

(iii) **महिलाओं को 3 पाली में कार्य करने की अनुमति -** संबंधित अधिनियम में किये गये संशोधन अनुसार महिलाओं को 3 पाली में कार्य करने की अनुमति दी जावे।

(iv) इकाई को सप्ताह के सातों दिन में कार्यरत रहने की अनुमति इस शर्त पर दी जाये कि कार्यरत कर्मचारियों को 1 दिवस का साप्ताहिक अवकाश अनिवार्यत: दिया जायेगा।

3. कम्पनी की परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं रक्षा संयंत्र उत्पाद निवेश नीति, 2014 अंतर्गत अन्य प्रावधानित सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार दिया जाये।

4. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-35/2015/बी-ग्यारह: भोपाल, दिनांक: 05-02-2016

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग/श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, जिला इंदौर।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स रिलायंस लेंड सिस्टम्स लिमिटेड, देवीदास लेन, ऑफ एसव्हीपी रोड, नियर देवीदास टेलीफोन एक्सचेन्ज, बोरीवली (व्हेस्ट) मुम्बई 400103.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग